01/6/26

पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। आज फलस्वरूप प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत डिक्री शामिल मिसल कर [illegible] नंबर से दर्ज हो।

डिक्री मुताबिक जारी।

GCMS 2025/509

BV

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री भरत जय प्रकाश मीना आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 210/2025 GCMS:2025/509 **दायरा दिनांक : 12.08.2025**

पप्पूराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. ईशरराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति बाजीगर निवासी ठैठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, सूरतगढ़
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ोपल।

–अप्रार्थीगण

उपस्थिती :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एडवोकेट, प्रार्थी
2. पैरोकार राज
3. सुरेन्द्रपालसिंह अप्रार्थी नं. 04

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक : 01.06.26**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभयपक्ष की बहस दिनांक 19.05.2026 को सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी नं. 01 ईशरराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति बाजीगर निवासी ठैठार के नाम से चक 143 आर.डी. के पत्थर नं. 192/25 के किला नं. 1, 2, 6 ता 25 में 5.566 है0 अनकमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी नं. 01 के मध्य पूर्व में घरू बंटवारा के मुताबिक प्रार्थी एंव अप्रार्थी नं. 01 का निम्न प्रकार से कब्जा काश्त है। (क) पप्पूराम पुत्र मूलाराम प्रार्थी का कब्जा काश्त व घरू बंटवारा मुताबिक तहसील सूरतगढ़ के चक 143 आर.डी. के खाता नं. 4/34 के पत्थर नं 192/25 (5) के किला नं. 6 ता 8 में 0.759 है0, 13 ता 18 में 1.518 है0, 24–25 में 0.506 है0 कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड भूमि पर कब्जा काश्त है। (ख) अप्रार्थी नं. 01 ईशरराम पुत्र सुरजाराम का कब्जा काश्त व घरू बंटवारा मुताबिक तहसील सूरतगढ़ के चक 143 आर.डी. के खाता नं. 4/34 के पत्थर नं 192/25 (5) के किला नं. 1–2 में 0.506 है0 9 ता 12 में 1.012 है0, 19 ता 23 में 1.265 है0, कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड भूमि पर कब्जा काश्त है। जैरवाद भूमि का खाता सांझा होने के कारण रकम जमा करवाने में, बैंक से ऋण प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपने घरू बंटवारानुसार खाता अलग व रकम अलग कायम करवाना चाहता है जो किया जावे इसलिये दावा डिक्री योग्य है। इस बाबत दावा श्रीमान जी के समक्ष जैरकार है। दावा के निर्णय से पूर्व अप्रार्थीगण जैरवाद भूमि को रहन बेचान करने पर उतारू है अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये दावे के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि जैरवाद भूमि की मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे व रहन बेचान न करे व प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर, उपस्थित नही होने पर दिनांक 29.10.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का मनन करने व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह पाया कि जैरवाद भूमि प्रार्थी एंव अप्रार्थी नं. 01 के नाम संयुक्त खाता में चक 143 आर.डी. के पत्थर नं. 192/25 के किला नं. 1, 2, 6 ता 25 में 5.566 है0 अनकमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। घरेलू बंटवारानुसार प्रार्थी एंव अप्रार्थी का कब्जा काश्त है। रिकॉडेड जमाबंदी से प्रार्थी खातेदार कृषक है व मौका पर काबिज काश्त साबित हो रहा है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष साबित हो रहा है। इसलिये दावा के निर्णय तक अप्रार्थी के जैर प्रकरण रकबा को रिकॉर्ड एवं मौका की स्थिती में किसी तरह से परिवर्तन न करने के लिए पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दावे के निर्णय तक अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वो चक 143 आर.डी. के पत्थर नं. 192/25 के किला नं. 1, 2, 6 ता 25 में 5.566 है0 अनकमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखल ना करें व जैर प्रकरण रकबा का रहन, बैय हस्तान्तरण ना करे व रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।